भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 43

संख्या.1035/04-परीक्षा/यूएन आडिट/2019

दिनांक:- 30 दिसम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- यूएन आडिट परीक्षा 2020

महोदय/महोदया,

2020-21 और 2021-22 के दौरान निर्धारित यूएन आडिट के लिए व.ले.अ/व.ले.प.अ/ले.प.अ/ले.अ/स.ले.प अ/स.ले.अ को शार्टलिस्ट करने के लिए **2020 के फरवरी माह** में एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी शाखाओं के अधिकारी अर्थात् लेखापरीक्षा/लेखा इत्यादि, जो अनुलग्नक I में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन के लिए पात्र हैं।

2. जबकि एक कार्यालय से प्राप्त होने वाले आवेदकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नही लगाया गया है, **कृपया यह सुनिश्चित करें कि केवल पात्र अधिकारियों के नाम की ही सिफारिश की जाए।** पूरी प्रक्रिया अर्थात्, पात्र अधिकारियों द्वारा आवेदन फार्म भरना, डाटा का सत्यापन और विभागाध्यक्षों की सिफारिश नियत समय में प्रदान किए जाने वाले पंजीकरण लिंक के माध्यम से आनलाइन करना अपेक्षित है।

3. परीक्षा कम्पयूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में सात शहरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकता, गुवाहाटी, बैंगलोर और हैदराबाद में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप अनुलग्नक-II में दिया गया हैं।

4. आनलाइन पंजीकरण के समय 2018-19 तक उपलब्ध पिछले पांच वर्षो की एसीआर/एपीएआर का सार प्रविष्ट करना अपेक्षित है। सर्तकता/अनुशासनात्मक अनापत्ति और जुर्माना/प्रशासनिक कार्रवाई जैसे निलंबन, अकार्य दिवस और आपराधिक अभियोग अनापत्ति भी आनलाइन प्रदान करना अपेक्षित है।

5. आवेदन/दस्तावेज आफलाइन प्रस्तुत करने की कोई गुजाइंश नही होगी और इसलिए पंजीकरण विंडों खुलने पर सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन और आपकी सिफारिश केवल आनलाइन प्रस्तुत करना जरूरी है। यदि किसी भी स्तर पर, किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन किसी नोटिस के बिना रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. वे अधिकारी जो यूएन आडिट के लिए चुने जाने के बाद अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेते है (स्वंय या परिवार के निकट सदस्यों की सर्जरी जैसे गंभीर चिकित्सा आधारों को छोड़कर) उन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यों/ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

7. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षाक का कार्यालय

10 ब.श.जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 42

संख्या: 1033/09- परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-।एवं।।/प्रोग./वार्षिक/2019
दिनांक:- 23/12/2019

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के उन अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जो पूर्व में एसएएस सिविल लेखा परीक्षा शाखा में बैठे थे तथा एसएएस (सिविल लेखा) शाखा के सभी पेपरों में छूट प्राप्त की थी।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र संख्या 7 के तहत लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के उन पात्र कार्मिको के संबंध में जानकारी, जिन्होंने एसएएस मुख्य परीक्षा 2019 में सिविल लेखा का विकल्प चुना था किन्तु पूर्व में एसएएस सिविल लेखापरीक्षा परीक्षा में बैठे थे और एसएएस सिविल लेखा शाखा के सभी पेपरों में छूट प्राप्त की थी, निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत की जाए:-

क्रम. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिछली एसएएस परीक्षा में बैठने का इन्डेक्स सं.	उस परीक्षा का इन्डेक्स नं. जिसमें पीसी - 13 में छूट प्राप्त की गई और प्राप्त अंक		उस परीक्षा की इन्डेक्स सं. जिसमें पीसी - 21 में छूट प्राप्त की गई और प्राप्त अंक	
			इन्डेक्स नं.	अंक	इन्डेक्स नं.	अंक

कृपया उपरोक्त सूचना 7 जनवरी, 2020 तक एक्सेल शीट में प्रस्तुत कर ई-मेल examreg@cag.gov.in पर भेजें (अनुलग्नक के रूप में)।

2. कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षाक का कार्यालय

10 ब.श.जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 41

संख्या: 1032/09- परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-Iएवं II/प्रोग./वार्षिक/2019
दिनांक:- 23/12/2019

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: **राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा के अभ्यर्थियों के बारे में सूचना जिन्होंने आरएई- 1 एवं आरएई- 2 पेपरों में छूट प्राप्त की हो किन्तु आरएई- 10 पेपर पास नही किया**

महोदय/महोदया,

कृपया परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 18 का संदर्भ लें। इस संबंध में, राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के बारे में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रेषित करें जिन्होंने आरएई - 1 एवं आरएई - 2 पेपरो में छूट प्राप्त की हो किन्तु आरएई - 10 पेपर पास नही किया हो:-

क्रम. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिछली आरएई परीक्षा का इन्डेक्स सं.	उस परीक्षा का इन्डेक्स सं. जिसमें आरएई - 1 में छूट प्राप्त की और प्राप्त अंक		उस परीक्षा का इन्डेक्स सं. जिसमें आरएई - 2 में छूट प्राप्त की और प्राप्त अंक		पिछली परीक्षा का इन्डेक्स सं. जिसमें आरएई - 10 में बैठे हों और प्राप्त अंक	
			इन्डेक्स सं.	अंक	इन्डेक्स सं.	अंक	इन्डेक्स सं.	अंक

कृपया अपेक्षित सूचना उपरोक्त प्रारूप में सभी संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में, उपयोग किए गए अवसरों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रेषित करें और 7 जनवरी 2020, मंगलवार तक ई-मेल examreg@cag.gov.in पर भेजें।

2. कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षाक का कार्यालय

10 ब.श.जफर मार्ग नई दिल्ली-110124

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

2019 का परिपत्र संख्या 40

संख्या: 1028/43- परीक्षा/ एम्बेसी लेखापरीक्षा/2019

दिनांक:- 18/12/2019

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख

(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: <u>एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2020</u>

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा सोमवार, 6 जनवरी 2020 को आयोजित की जाएगी। आपके कार्यालय के अधिकारी जो इस परीक्षा में बैठेंगें, को तद्नुसार सूचित किया जा सकता है।

2. इस परीक्षा में बैठने वाले अधिकारियों की सूची उनके टेस्ट सेंटर के साथ अनुलग्नक I में दी गई है। कृपया इसे अपने स्तर पर सत्यापित करें। विसंगति, यदि कोई हो तो, इस सप्ताह के अंदर sao2exam@cag.gov.in को ई-मेल द्वारा सूचित किया जा सकता है।

3. <u>एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम</u> सीएजी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और परीक्षा का स्वरूप भी उसमें उल्लिखित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कम्पयूटर आधारित परीक्षा के संबंध में अनुदेश देखें जो <u>on-line Demo Test and Instructions for candidate</u> शीर्षक के तहत सीएजी की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है।

4. टेस्ट सेन्टर का विवरण अनुलग्नक II में उल्लिखित है। टेस्ट सेन्टर-वार प्रवेश पत्र और उपस्थिति शीट (साफ्ट कापी) आईए एवं एडी के नोडल अधिकारी (अधिकारियों) को ई-मेल से भेजी जाएगी, जैसा कि उक्त अनुलग्नक में बताया गया है। ई-मेल द्वारा प्रवेश पत्र की प्राप्ति न होने के मामले में, अभ्यर्थी उसे संबंधित नोडल अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो एक प्रवेश पत्र पर तथा दूसरी उपस्थिति पत्र पर चिपकाने के लिए साथ रखें। वे अपना कार्यालय पहचान पत्र भी परीक्षा केन्द्र में साथ ले जाएं।

भवदीय

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

2019 का परिपत्र संख्या 39

संख्या.1022/43-परीक्षा/एम्बेसी लेखापरीक्षा/2019
दिनांक:- 11 दिसम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019, जो 18 दिसम्बर 2019 को आयोजित की जानी थी, प्रशासनिक कारणों से स्थागित कर दी गई। संशोधित तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

भवदीय,
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 38

संख्या. 1021/43-परीक्षा/एम्बेसी लेखापरीक्षा/2019
दिनांक:- 06 दिसम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019, जो 18 दिसम्बर 2019 बुधवार को आयोजित की जाएगी। आपके कार्यालय के अधिकारी जो इस परीक्षा में बैठेंगे, को तद्नुसार सूचित किया जा सकता है।

2. एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019 में बैठने वाले अधिकारियों का विवरण उनके टेस्ट सिटी के साथ अनुलग्नक में दिया गया है। कृपया इसे अपने स्तर पर सत्यापित करें। विसंगति, यदि कोई हो तो, 10 दिसम्बर 2019 तक sao2exam@cag.gov.in पर ई-मेल द्वारा सूचित किया जा सकता है। आसान सर्च संभव करने के लिए, ई-मेल का विषय लिखा जाना चाहिए "**EMEX2019-Correction in particulars**". यदि अनुलग्नक में दिया गया विवरण सही है तो किसी पत्राचार की आवश्यकता नही है।

3. एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019 का पाठ्यक्रम पहले से ही सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है, और परीक्षा के स्वरूप का भी उसमें उल्लेख है। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होगा।

4. कम्पयूटर आधारित टेस्ट के संबंध में निर्देश सीएजी की वेबसाइट पर on-line Demo Test and instructions for Candidate शीर्षक के तहत पहले से उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया के साथ परीक्षा केन्द्रों के नाम और पते शीघ्र ही सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएगें।

5. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें। (कोई हार्ड कापी नही भेजी जाएगी।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 37

संख्या.1015/43-परीक्षा/एम्बेसी लेखापरीक्षा/2019

दिनांक:- 28 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एम्बेसी लेखापरीक्षा परीक्षा 2019

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2019-20 से, एम्बेसी लेखापरीक्षा दलों के लिए व.ले.प.अ./व.ले.अ./ले.प.अ/ले.अ./स.ले.प.अ/स.ले.अ. का चयन परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

2. केवल वह अधिकारी जिनके नामाकंन क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय से पहले ही प्राप्त हो चुकें है, वर्ष 2019-20 के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

3. परीक्षा 17 दिसंबर 2019 को छ: शहरों अर्थात दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चैन्ने, बैंगलोर और हैदराबाद में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर आयोजित की जाने की संभावना है। पात्र अधिकारियों के संबंध में टेस्ट सिटी का विकल्प अलग से प्राप्त किया जा सकता है।

4. परीक्षा कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी। बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) और व्याख्यात्मक प्रकार के प्रश्नों के मिश्रण के साथ केवल एक घंटे की अवधि का एक पेपर होगा। एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए सीएजी की वेबसाइट पर अपलोडड अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन डेमो टेस्ट और अनुदेश परीक्षा के स्वरूप के बारे में एक सामान्य जानकारी देगा।

5. परीक्षा का पाठ्यक्रम/विषय जल्दी ही जारी किया जाएगा।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 36

संख्या.1014/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रोग./मुख्य/2019
दिनांक:- 28 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 - पीसी 4/आईई 4 का डेमो विडियो।

महोदय/महोदया,

पीसी 4/आईई 4 पेपर का डेमो विडियो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://drive.google.com/open?id=1rgnjS2YPb5-N_aB_adcFdnsgr8gNhTbG

इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी।

भवदीय,
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 35

संख्या. 1013/परीक्षा/39-2005/खण्ड-II
दिनांक:- 28 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(म.नि.ले.प, डाक एवं दूरसंचार तथा म.नि. ले.प. रक्षा सेवाऐं को छोड़कर)

विषय:- लेखाकारों और लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंध।

महोदय/महोदया,

कृपया परीक्षा अनुभाग के पत्र सं. 309/परीक्षा/39-2006/III दिनांक 10-12-2008 द्वारा जारी 2008 के परिपत्र सं. 9 तथा पत्र सं. 910/39-परीक्षा/2006/III दिनांक 30-06-2009 का संदर्भ लें। यह सूचित किया जाता है कि लेखाकारों और लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षाएं तथा अन्य कोई भी विभागीय परीक्षाएं जिनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी दूसरे नामित कार्यालय के द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन के बाद नामित कार्यालय द्वारा मुख्यालय को भेजे जाने वाला प्रतिवेदन अब भेजना आवश्यक नहीं है।

2. यदि भविष्य में परीक्षा विंग द्वारा किसी भी नामित कार्यालय को बदला जायेगा तो उसकी सूचना संबंधित कार्यालय को दे दी जायेगी तथा संबंधित कार्यालय नामित किए गए कार्यालय से स्वंय मिलान कर सकते है।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

2019 का परिपत्र संख्या 34

संख्या.1010/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रोग./मुख्य/2019

दिनांक:- 22 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 - प्रवेश पत्र के लिए फोटोग्राफ।

महोदय/महोदया,

25 से 30 नवम्बर 2019 तक आयोजित होने वाली एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए प्रवेश पत्र पहले ही अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडिंग के लिए तैयार हैं।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र पर अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटो ले जाएं। यदि प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट रूप से नहीं छपी है तो इसकी आवश्यकता हो सकती है।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in' पर भेजें।

भवदीय,

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 33

संख्या.418/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रोग./मुख्य/2019
दिनांक:- 21 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए प्रवेश पत्र।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि 25 से 30 नवम्बर 2019 तक आयोजित होने वाली एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण पोर्टल (लिंक https://cagi.azurewebsites.net) पर लागइन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर डाउनलोडिंग के लिए तैयार हैं। मौजूदा प्रक्रिया के तहत कोई पृथक कार्यालय प्रति/ओवरसियर प्रति अपेक्षित नही होगी।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में अपने विवरणों की भली भान्ति जांच कर लें। किसी प्रकार की विसंगति के बारे में तुरन्त संबंधित कार्यालय को सूचित करें ताकि वह परीक्षा विंग को ईमेल examreg@cag.in. द्वारा रिपोर्ट कर सकें।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
हस्ता/-
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 32

संख्या. 1008/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रोग./मुख्य/2019
दिनांक:- 18 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए संशोधित डेटशीट।

महोदय/महोदया,

एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 की संशोधित डेटशीट (परीक्षा का कार्यक्रम) संलग्न है।

2. प्रवेश पत्र बुधवार 20 नवम्बर 2019 से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपना लागइन आईडी और पासवर्ड प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र पर अपने विवरण की अच्छी तरह से जांच कर लें और किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अपने ईआरओ से तुरन्त संपर्क करें।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 31

संख्या. 1005/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रोग./मुख्य/2019

दिनांक:- 14 नवम्बर 2019

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 - भाषा पैक (हिन्दी)।

महोदय/महोदया,

सभी संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि वह अभ्यर्थी जिन्होनें हिन्दी माध्यम में पीसी-1 पेपर लिखने का विकल्प चुना है को एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 में मंगल फोंट का प्रयोग करना होगा। अत: ऐसे अभ्यर्थी मंगल फोंट में हिन्दी टकंण का अभ्यास कर सकते है, जो सामान्यतया एमएस वर्ड में उपलब्ध है। भाषा पैक के संस्थापन के लिए दिशानिर्देश संलग्न है।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाए कि एक बार पीसी-1 के लिए भाषा चुने जाने पर उसे परिवर्तित न करे। जैसा कि सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश में उल्लिखित है, यदि पीसी-1 पेपर के व्याख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा को परिवर्तित किया गया तो प्रश्नों के मौजूदा उत्तर हट (cleared) जाऐगें। अभ्यर्थी इसके बारे में सावधान रहें। अभ्यर्थी लिंक On-line Demo Test and Instructions for Candidate का प्रयोग कर अभ्यास कर सकते है।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

CAG-Document for Installation Language Pack

1. Enter The following URL for downloading the installation pack.

   https://www.microsoft.com/en-in/bhashaindia/downloads.aspx

   a. Download Indic Input 3 for Windows 10 - 32- and 64-Bit Versions.

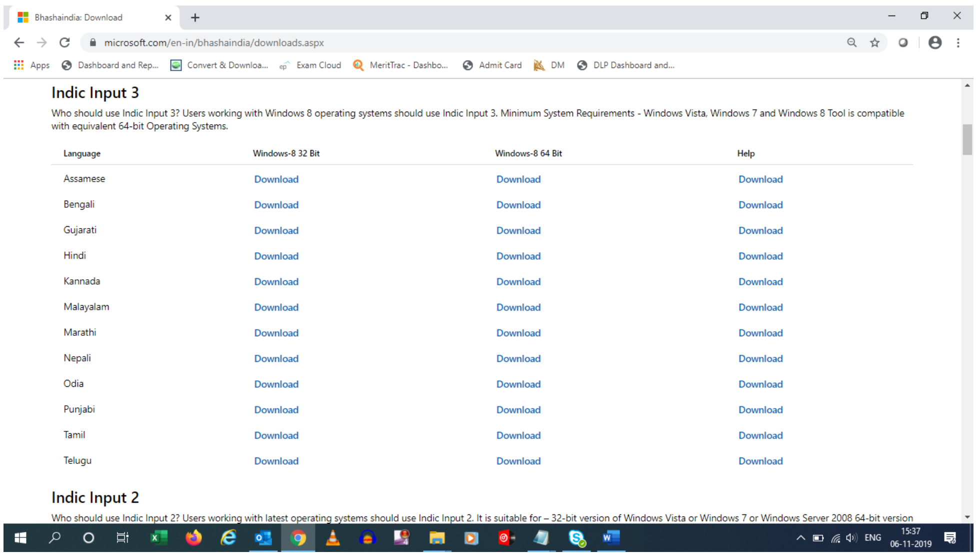

Indic Input 3

Who should use Indic Input 3? Users working with Windows 8 operating systems should use Indic Input 3. Minimum System Requirements - Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 Tool is compatible with equivalent 64-bit Operating Systems.

Language	Windows-8 32 Bit	Windows-8 64 Bit	Help
Assamese	Download	Download	Download
Bengali	Download	Download	Download
Gujarati	Download	Download	Download
Hindi	Download	Download	Download
Kannada	Download	Download	Download
Malayalam	Download	Download	Download
Marathi	Download	Download	Download
Nepali	Download	Download	Download
Odia	Download	Download	Download
Punjabi	Download	Download	Download
Tamil	Download	Download	Download
Telugu	Download	Download	Download

Indic Input 2

Who should use Indic Input 2? Users working with latest operating systems should use Indic Input 2. It is suitable for – 32-bit version of Windows Vista or Windows 7 or Windows Server 2008 64-bit version

   b. Indic Input 1 - Windows 7-32 Bit.

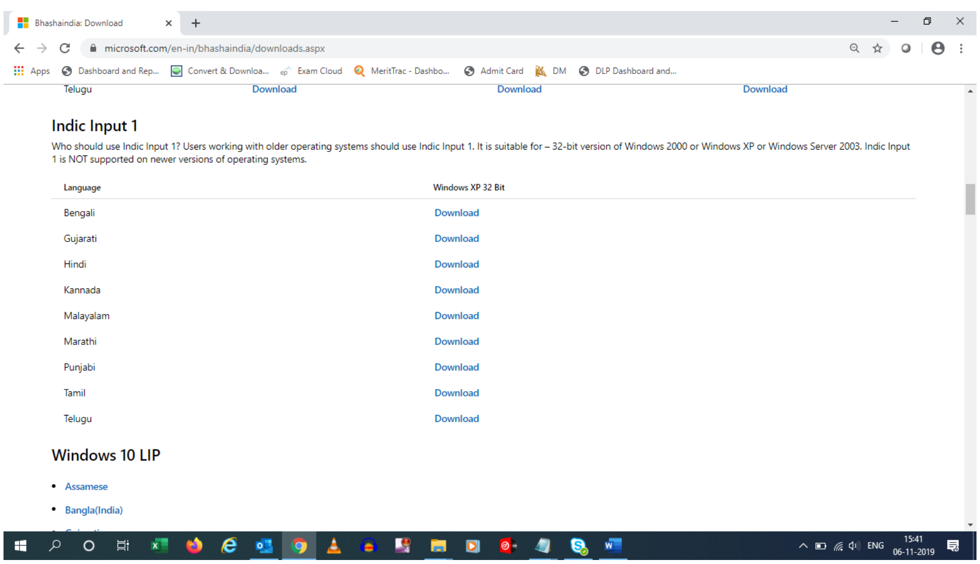

Indic Input 1

Who should use Indic Input 1? Users working with older operating systems should use Indic Input 1. It is suitable for – 32-bit version of Windows 2000 or Windows XP or Windows Server 2003. Indic Input 1 is NOT supported on newer versions of operating systems.

Language	Windows XP 32 Bit
Bengali	Download
Gujarati	Download
Hindi	Download
Kannada	Download
Malayalam	Download
Marathi	Download
Punjabi	Download
Tamil	Download
Telugu	Download

Windows 10 LIP

- Assamese
- Bangla(India)

Extract the zip file and Install the exe files.

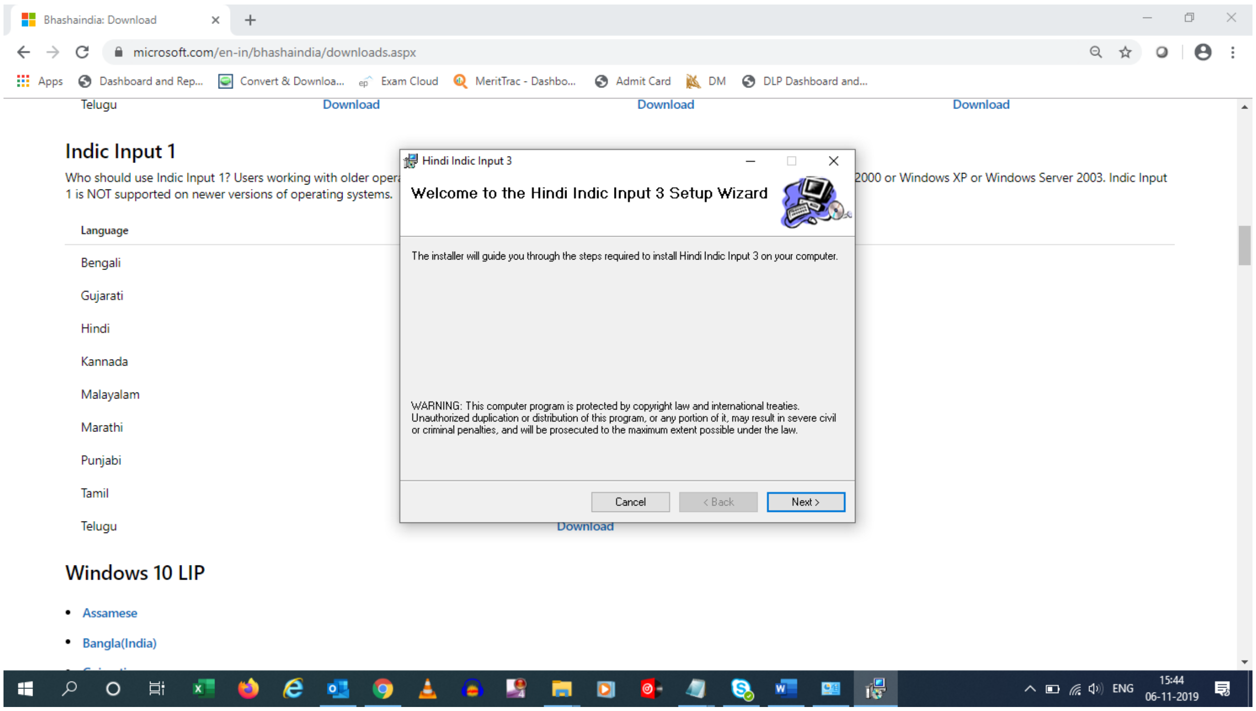

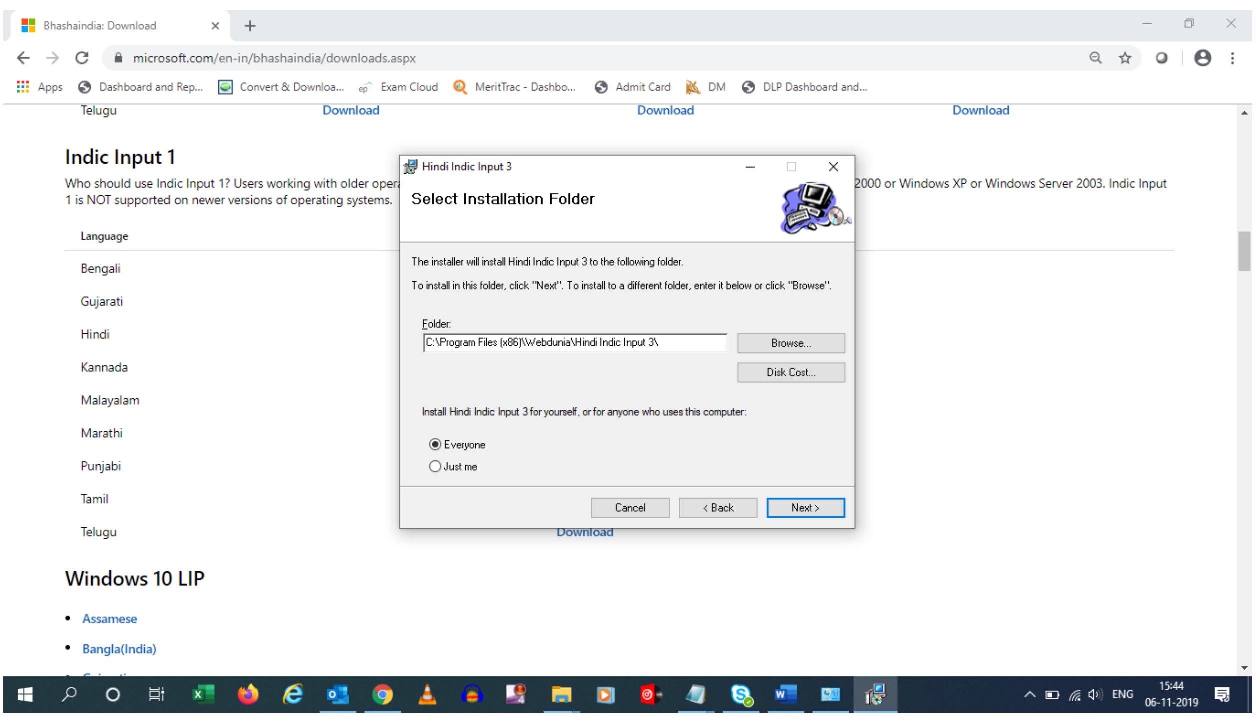

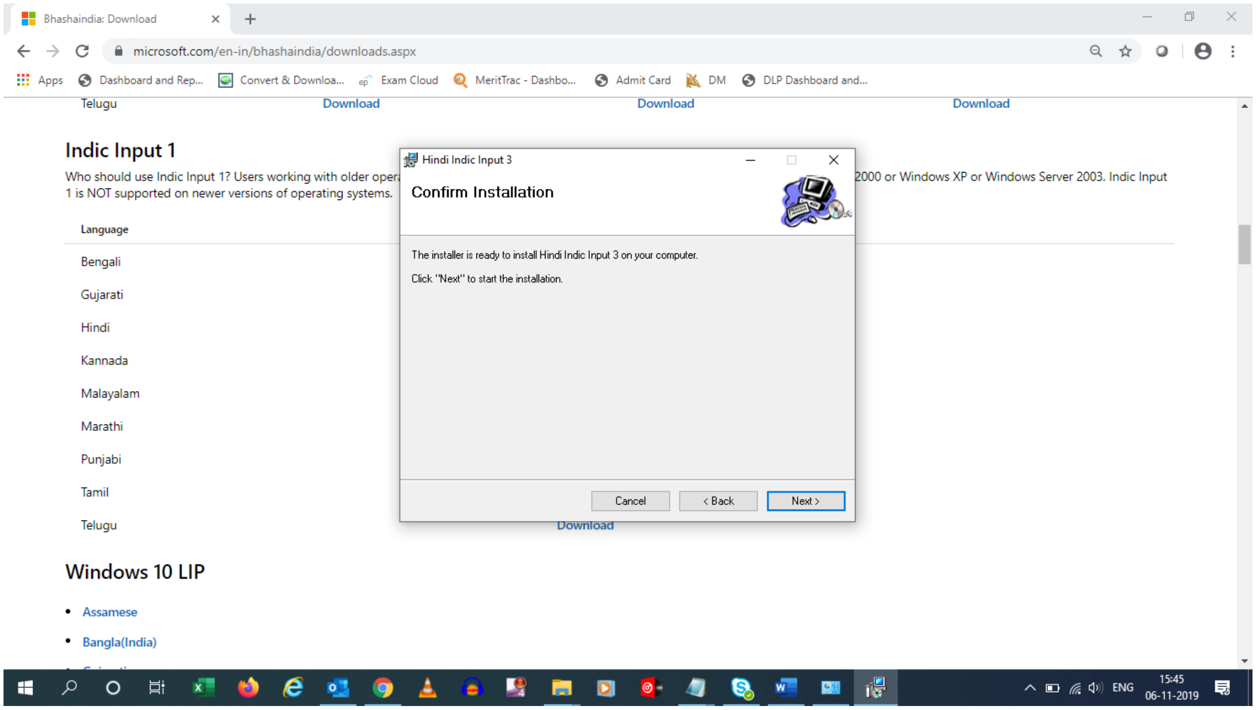

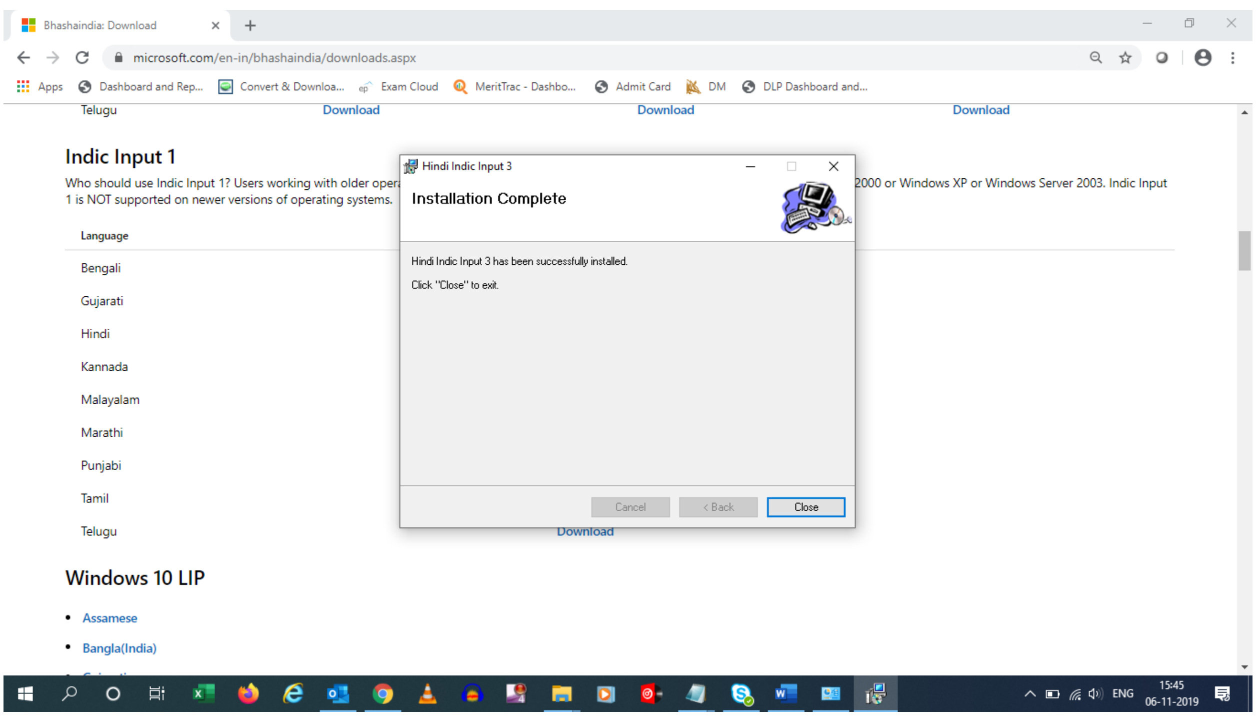

Now you are done with installation.

Change language preference as per your requirement **(Right side of taskbar)**

Keyboard Shortcut:Alt+Shift

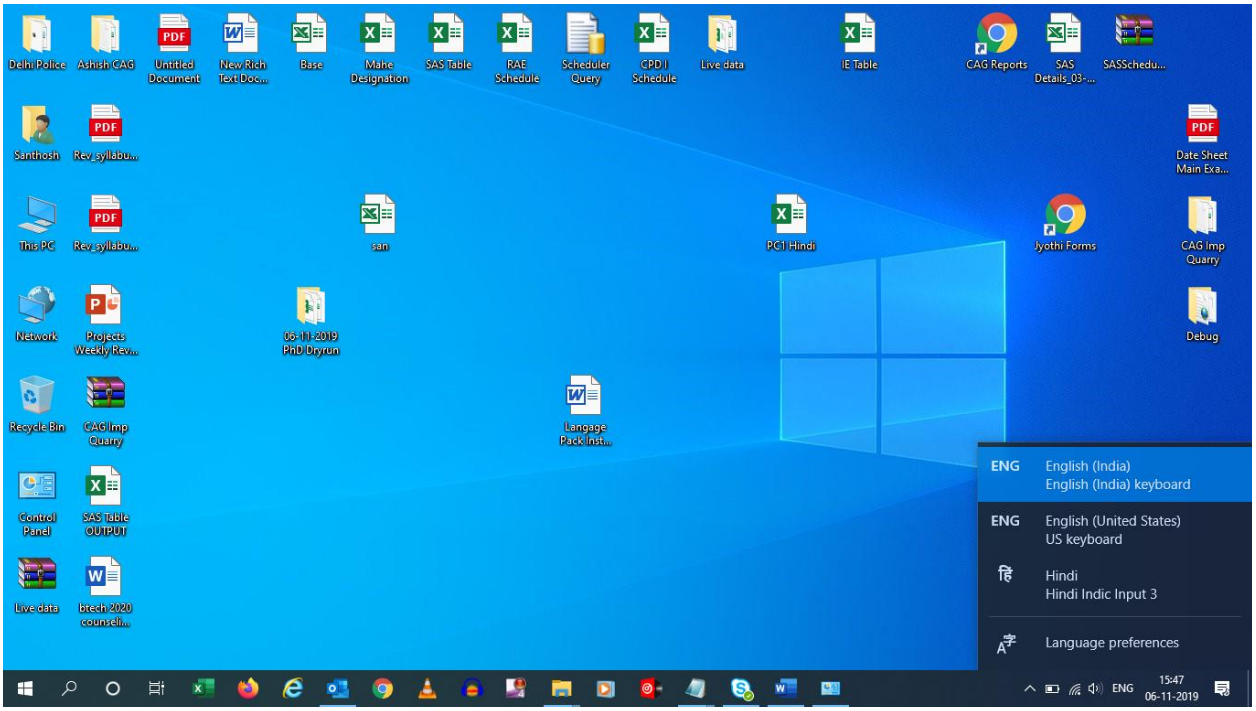

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 30

संख्या. 1004/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रो./मुख्य/2019

दिनांक:- 14 नवम्बर 2019

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 का स्थगन ।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019, जिसे 21 से 28 नवम्बर 2019 तक आयोजित किया जाना निर्धारित था, को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।

2. संशोधित तिथि जल्दी ही घोषित की जाएगी।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कु

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 1003/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रो /मुख्य/2019

दिनांक:- 08 नवम्बर 2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 29

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 - अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट और अनुदेश।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि आनलाइन डेमो टेस्ट (मॉक टेस्ट) के लिंक सहित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए है। लिंक नीचे दिया गया है: https://cag.gov.in/sites/default/files/cag_pdf/instructions Mains19 English.pdf.

2. अभ्यर्थियों को अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए और नए साफ्टवेयर पर कम्प्यूटर आधारित टेस्ट के स्वरूप से स्वयं को परिचित करना चाहिए।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 1000/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/प्रो./मुख्य/2019

दिनांक:- 05 नवम्बर 2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 28

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 की डेटशीट।

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 1/ दिनांक 24 अगस्त 2019 में उल्लिखित है, एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II मुख्य परीक्षा 2019 का आयोजन नवम्बर 2019 में किया जाएगा। डेटशीट (परीक्षा कार्यक्रम) संलग्न है। अनुरोध है कि परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए, विशेष रूप से इस परीक्षा में बैठने वाले योग्य अभ्यर्थियों के बीच।

2. मुख्य परीक्षा 2019 के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड हेतु पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जाएगें।

3. अभ्यर्थिता वापिस लेना तब तक अनुमत नही होगा जब तक मामले की परिस्थितियां छूट को पूर्ण रूप से उचित सिद्ध ना करती हों। अभ्यर्थिता वापिस लेना और/या परीक्षा केन्द्र परिवर्तित करने के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 11 नवम्बर 2019 होगी।

4. डेमो/मॉक टेस्ट से संबंधित विवरण अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

5. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

मनीष कु

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

एस.ए.एस./आरए/आई/सीपीडी-I&II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए डेटशीट

दिनांक	दिन	पूर्वाह्न सत्र*	अपराह्न सत्र**
21-11-2019	बृहस्पतिवार	पीसी-1 एवं आईई-2	आरएई-1, आईई-1 एवं पीसी-27
22-11-2019	शुक्रवार	पीसी-2 एवं आरएई-2	सी-4
23-11-2019	शनिवार	पीसी-3/आईई-3	सी-3
24-11-2019	रविवार	अवकाश	अवकाश
25-11-2019	सोमवार	पीसी-8,9,10,11 एवं 12	सी-1
26-11-2019	मंगलवार	पीसी- 5,6 एवं 7	पीसी-21,22,23,24,25 एवं 26,
27-11-2019	बुधवार	पीसी-13,14 एवं 15	सी-2
28-11-2019	बृहस्पतिवार	पीसी- 4/आईई - 4	पीसी-16,17,18,19, एवं 20

* पूर्वाह्न सत्र : 10:00 बजे से 12:00 बजे

(10:00 बजे से 12:30 बजे पीसी-1 के लिए)

** अपराह्न सत्र : 14:00 बजे से 16:00 बजे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 258 /13-परीक्षा/राजस्व पाठ्यक्रम /2016/केडब्ल्यू-I

दिनांक:- 05 नवम्बर 2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 27

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- सांख्यिकी की पुस्तक।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय के सांख्यिकीय सलाहकार, श्री पवन कुमार धमीजा द्वारा संकलित सांख्यिकी की पुस्तक सीएजी की वेबसाइट (https://cag.gov.in/sites/default/ files/cag_pdf/BookonStatistices.pdf) पर अपलोड कर दी गई है। यह पुस्तक मुख्य रूप से अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा के पीसी-2 के परीक्षार्थियों के लिए है क्योंकि परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें अधिकांश विषयों को कवर किया गया हैं।

2. अत: अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लिखित पुस्तक का व्यापक प्रचार किया जाए विशेष रूप से एसएएस परीक्षा के परीक्षार्थियों के बीच।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 990 /09-परीक्षा/एसएएस/आरए/सीपीडी-I&II/प्रो./मुख्य/2019

दिनांक:- 22 अक्तूबर 2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 26

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण- आनलाइन पंजीकरण के दौरान ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु।

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के दिनांक 11 अक्तूबर 2019 के 2019 के परिपत्र सं. 23 द्वारा सूचित किया गया था, मुख्य परीक्षा 2019 के एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II के लिए आनलाइन पंजीकरण, पूर्व पंजीकरण प्रक्रिया सहित 15 अक्तूबर 2019 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों के परीक्षा पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा पंजीकरण फार्म का भाग–I आनलाइन भरा और जमा किया गया था।

2. वह अभ्यर्थी जिनके विवरण संबंधित इआरओज़ द्वारा पहले से भर दिए गए है, वह **23 अक्तूबर 2019 को एसएमएस/ईमेल द्वारा यूजर आईडी और ओटीपी प्राप्त करेंगें।** अभ्यर्थियों को भाग -2 में पंजीकरण फार्म भरना, भाग -3 में नवीनतम फोटो/स्कैनड हस्ताक्षर/प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करना, भाग – 4 में भरे गए फार्म का पूर्वावलोकन और उसे प्रस्तुत (Submit) करना अपेक्षित है। **पंजीकरण फार्म भरने के निर्देश अनुलग्नक I में दिए गए है। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण फार्म प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 29 अक्तूबर 2019 हैं।**

3. ईआरओज़ साथ साथ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण फार्म के सत्यापन और वैधता की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। यह प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2019 तक पूरी की जानी है। तत्पश्चात, विभागाध्यक्ष उनके यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लाग इन कर सकते हैं और पात्रता, अवसर, शाखा, छूट का दावा इत्यादि के संबंध में प्रासंगिक आदेश/निर्देशों को ध्यान में रखकर अभ्यर्थिता अनुमोदित/अननुमोदित कर सकते हैं।

आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु और अनुवर्ती डाटा का वैधीकरण/अभ्यर्थिता का अनुमोदन अनुलग्नक II में दिया गया है।

4. सीएण्डएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I और मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी एसएएस/आरए/ आई/ सीपीडी-I&II मुख्य परीक्षा 2019 से संबंधित आदेशों/परिपत्रों को अभ्यर्थियों के वैधीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण होने के बाद, उसे 'अवसर का लाभ लिया गया' के रूप में माना जाएगा। इसलिए तथ्यों की स्टीकता सुनिश्चित की जानी चाहिए और पंजीकरण में दोहरीकरण से बचा जाना चाहिए। इस संबंध में अनुलग्नक III में दर्शायी गई चैक लिस्ट एचओडी अनुमोदन के समय आनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

5. पूर्व परीक्षाओं की पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पाई गई सामान्य त्रुटियां/मामलों को सभी संबंधितों के मार्ग दर्शन हेतु नीचे दिए गए है:-

- अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, इत्यादि की सेवा रिकार्डों के साथ बेमेलता
- अपूर्ण/गलत/विलम्बित पंजीकरण
- अपात्र अभ्यर्थियों का पंजीकरण
- ग्रुप का गलत चयन (ग्रुप-I,ग्रुप --II/दोनो)
- कुछ पेपरों में छूट का दावा न करना
- नवीनतम इन्डेक्स नम्बर का गैर प्रकटीकरण/गलत प्रविष्टि

यह सब स्पष्ट रूप से दर्शातें है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता का अनुमोदन करते समय अभ्यर्थियों के विवरण की ठीक से जांच नही की गई थी। अत: इस बात पर जोर दिया जाता है कि पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट अभ्यर्थियों के विवरण की सटीकता का सत्यापन सेवा पुस्तिका और अन्य संबंधित रिकार्डों से किया जाना चाहिए ताकि गलत डाटा के इनपुट से बचा जा सके।

6. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें। इसे सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस परिपत्र की कोई हार्ड कापी नही भेजी जाएगी।

मनीष कु.

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली</u>

परीक्षा अनुभाग

<u>2019 की परिपत्र सं. 25</u>

सं 987/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/सीपीडी-। एवं-।। /कार्यक्रम/वार्षिक/2019
दिनांक 15-10-2019

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालयाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा 2019 - पूर्व पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 23 द्वारा बताया जा चुका है, एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया **15 अक्तूबर 2019** से प्रारंभ होगी। इस उद्देश्य हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को लागइन आईडी एवं ओटीपी भेजे जा रहे हैं।

2 आनलाइन पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(i) पूर्व पंजीकरण (कार्यालयों द्वारा)	:15 से 19 अक्तूबर 2019
(ii) पंजीकरण प्रपत्र भरना (अभ्यर्थियों द्वारा)	:21 से 27 अक्तूबर 2019
(iii) डाटा का सत्यापन और प्रमाणीकरण (कार्यालयों द्वारा)	:31 अक्तूबर 2019 तक पूर्ण करना
(iv) एचओडी अनुमोदन	:1 नवम्बर 2019 तक पूर्ण करना

अभ्यर्थियों द्वारा प्रपत्र की आनलाइन प्रस्तुती के बाद पंजीकरण प्रपत्र में प्रविष्ट डाटा का सत्यापन और प्रमाणीकरण कार्यालय द्वारा निरन्तर आधार पर किया जा सकता है।

3 पूर्व-पंजीकरण चरण के लिए दिशानिर्देश संलग्न हैं। आगामी चरणों के लिए दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगें।

4 चूंकि आउटसोर्सिगं एजेंसी बदल गई है और एसएएस/आरए/आई/सीपीडी- I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु एक नया साफ्टवेयर विकसित किया गया हैं, आगामी वर्षो में आगे सुधार हेतु विभागाध्यक्ष, उपयोगी फीडबैक, यदि कोई हो तो, भेज सकते है।

5 आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान साफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के मामले में, आईएएवंएडी के क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा अनुभाग के निम्नलिखित अधिकारियों से कार्यालयी समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं:

1)	श्री सुजय घटक, व.प्र.अ.	9007150900
2)	श्रीमती रानी. एन. एम, स.प्र.अ.	9868650204
3)	श्री विकास, स.प्र.अ.	6360450240

किसी भी गंभीर समस्या के मामले में विभागाध्यक्ष, महानिदेशक (परीक्षा) से संपर्क कर सकते हैं।

6 कृपया इस पत्र की पावर्ती ई-मेल examsection@cag.gov.in पर भेजे।

भवदीय

मनीष कु॰

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ॥ मुख्य परीक्षा 2019 - आनलाइन पंजीकरण
पूर्व-पंजीकरण प्रक्रिया

1 आनलाइन पंजीकरण को चार भागों में विभाजित किया गया है:-

भाग- 1: अभ्यर्थी का प्रोफाइल
भाग- 2: परीक्षा विवरण
भाग- 3: अपलोड अनुभाग
भाग- 4: पूर्वावलोकन अनुभाग

पंजीकरण फार्म का भाग- 1 आईएएवंएडी कार्यालयों द्वारा भरा जाएगा, जिन्हें नया कार्यालय कोड आवंटित किया गया है। इस चरण को पूर्व-पंजीकरण कहा जाएगा। भाग- 2 और भाग- 3 अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना है।

2. प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में पंजीकरण प्रपत्र का भाग -। उस कार्यालय द्वारा भरा जा सकता है जहां वह नियुक्त है, यदि उस कार्यालय को कार्यालय कोड आवंटित किया गया है।

3. पूर्व-पंजीकरण चरण में शामिल कदम नीचे दिए गए है:

- पूर्व-पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:- https://cagi.azurewebsites.net/
- Office login Button पर क्लिक करें

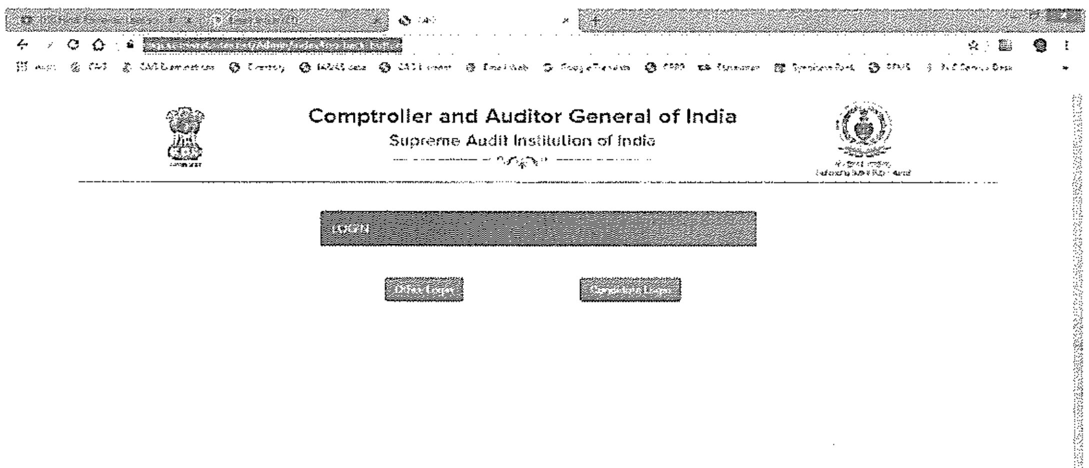

➢ एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें

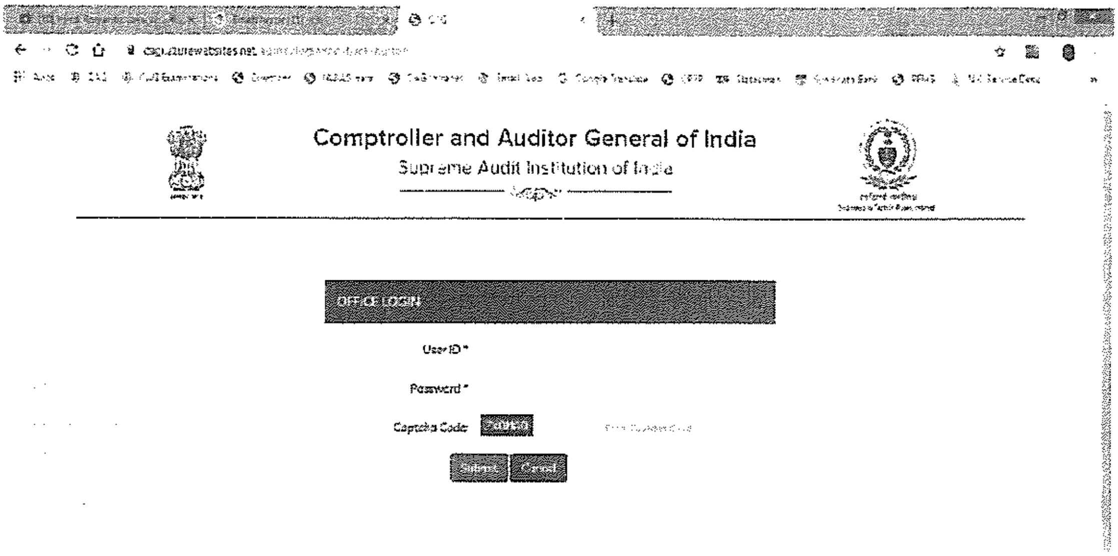

➢ पासवर्ड बदलें और पुन: लागइन करें

➢ Add Candidate button पर क्लिक करें

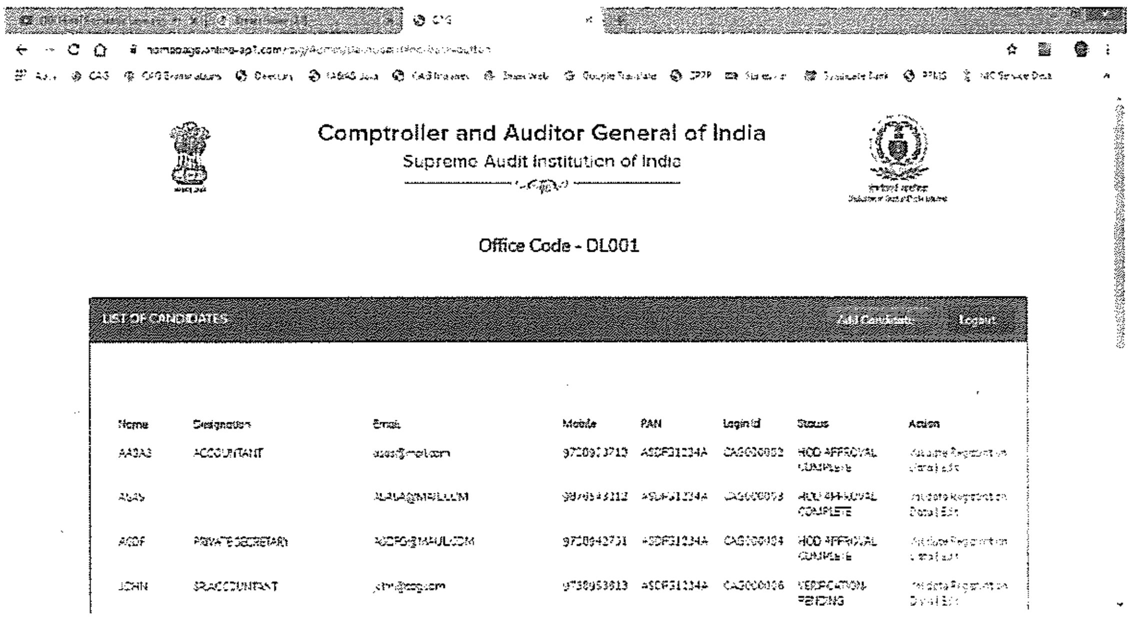

➢ पंजीकरण प्रपत्र के भाग -I में सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें और Submit करें

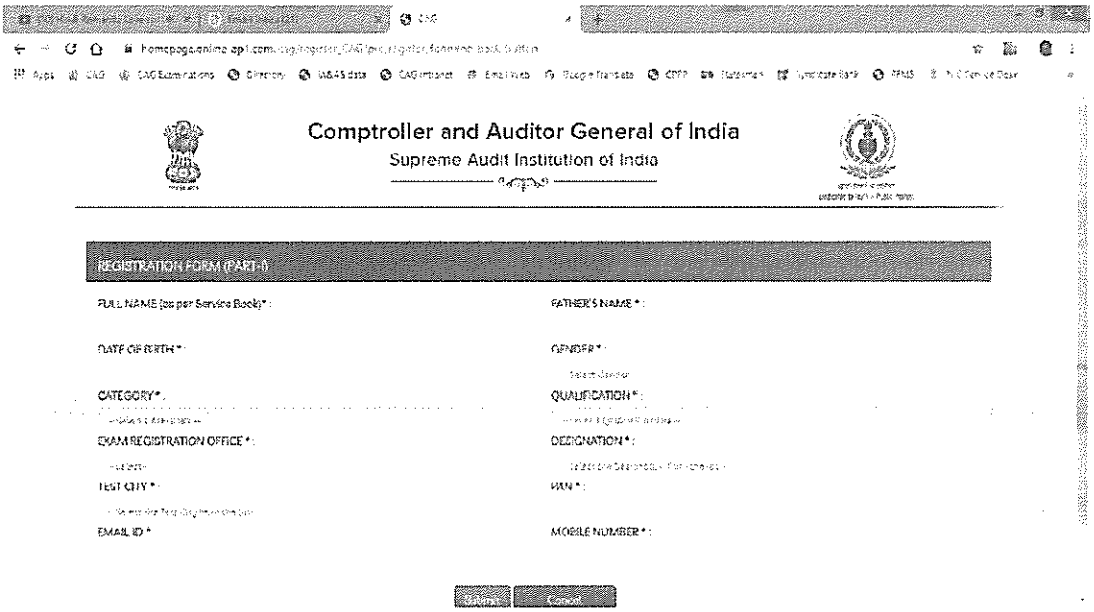

➢ भरे हुए फार्म का प्रिंटआउट लेने का विकल्प दिया गया है। कृपया कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रिंटआउट लें।

➢ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- संवर्ग नियंत्रक कार्यालय/मूल कार्यालय को EXAM REGISTRATION OFFICE के रूप में चुनें।

  एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 में बैठने के इच्छुक अभ्यर्थियों का आनलाइन पंजीकरण उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण कार्यालय/मूल कार्यालय जहां से वह संबंधित है द्वारा किया जाएगा, जबकि पूर्व-पंजीकरण नए कार्यालय कोड वाले किसी भी आईए एवं एडी कार्यालय द्वारा किया जा सकता हैं।

- Test city को तैनाती के स्थान के आधार पर Select करें

  परीक्षा 38 शहरों में आयोजित की जाएगी। Test city अभ्यर्थी की वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर आधारित होगी।

- अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर
  अभ्यर्थियो को ई-मेल/एसएमएस द्वारा लागइन आईडी और ओटीपी भेजी जाएगी। अत: प्रपत्र में अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी और मोबाइल नबंर सही तरीके से प्रविष्ट किया जाना चाहिए।
- अभ्यर्थी की लागइन आईडी
  पंजीकरण फार्म भाग -I की प्रस्तुती पर DASHBOARD पर सिस्टम सृजित लागइन आईडी के साथ अभ्यर्थियों की सूची दर्शायी जाएगी। तथापि, अभ्यर्थियों की सूची ईआरओ लागइन आईडी के आधार पर दर्शायी जाएगी जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों से देखा जा सकता है:

विवरण	**उदाहरण -1** (मुख्यालय कार्यालय संवर्ग से संबंधित कर्मचारी)	**उदाहरण -2** (मुख्यालय कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी)
पूर्व पंजीकरण किया जाएगा	DL001 CAG of INDIA	DL001 CAG of INDIA
परीक्षा पंजीकरण कार्यालय चयन	DL001(भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय) (नई दिल्ली)	डब्ल्यू 211 (प्र.महालेखाकार) (जी एंव एसएसए) पश्चिम बंगाल (कोलकाता)
चयनित Test city	New Delhi	New Delhi
पंजीकरण प्रपत्र (भाग-1) की प्रस्तुती पर डैशबोर्ड डिस्पलें	**नाम और सिस्टम सृजित लागइन आईडी कार्यालय कोड- DL001 CAG of INDIA के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगी**	**नाम और सिस्टम सृजित लागइन आईडी कार्यालय कोड- WB211 PAG (G&SSA) WB कार्यालय कोड के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगी**
भेर हुए फार्म का प्रिंटआउट निकालने का विकल्प	**DL001 भरे हुए प्रपत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं**	**DL001 और WB211 दोनों भरे हुए प्रपत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं**
अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट किए गए डाटा का सत्यापन/प्रमाणीकरण	**DL001 द्वारा किया जाना है**	**WB211 द्वारा किया जाना है**
एचओडी अनुमोदन	**DL001 द्वारा किया जाना है**	**WB211 द्वारा किया जाना है**

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

2019 की परिपत्र सं. 24

सं 985/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/सीपीडी-। एवं-॥ /कार्यक्रम/वार्षिक/2019
दिनांक 14-10-2019

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालयाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ॥ मुख्य परीक्षा 2019 में आरएई पेपरों में छूट की प्रक्रिया

महोदय/महोदया,

मुख्य परीक्षा 2019 से राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आरएई) के संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने के परिणामस्वरूप छूट मैट्रिक्स परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 18 द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस सदंर्भ में, कृपया ध्यान दें कि एक अभ्यर्थी जिसने सभी अनुमत अवसरों की संख्या समाप्त कर दी है, एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा 2019 में किसी छूट का दावा करने के पात्र नही होंगे।

2 तदनुसार, एसएएस/आरए/आई/सीपीडी- । एवं ।। मुख्य परीक्षा 2019 में बैठने के लिए पात्र अभ्यर्थी जिनका कम से कम एक अवसर बचा हुआ है, और जिन्होने पहले से आरएई । एवं आरएई-2 पेपर दोनों में छूट प्राप्त कर ली है और केवल आरएई-10 पेपर पास करना बाकी है को उक्त परीक्षा में परिणाम घोषित होने पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ उत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के साथ एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण करना भी अपेक्षित है।

3 इस पत्र की पावती ई-मेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कु

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

सं 984/09-परीक्षा/एसएएस/आरए/सीपीडी-। एवं-।। /कार्यक्रम/वार्षिक/2019
दिनांक 11-10-2019

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र सं. **23**

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालयाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ।। मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण।

महोदय/महोदया,

एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं-।। मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण **15 अक्तूबर 2019** से प्रारंभ होगा। विभाग प्रमुख द्वारा एक अधिकारी को परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामांकित करना अपेक्षित हैं, जो उप महालेखाकार के पद से कम न हो, और जो कार्यालय के अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया को प्रबंधित करेगा। ईआरओ द्वारा आनलाइन पंजीकरण प्रपत्र में प्रविष्ट किए गए डाटा को सत्यापित एवं प्रमाणित करना अपेक्षित होगा। ईआरओ के रूप में नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर ई-मेल द्वारा महानिदेशक परीक्षा को dgexam@cag.gov.in पर और उसकी प्रति sao2exam@cag.gov.in को 16 अक्तूबर 2019 से पहले भेजा जा सकता है।

2 एचओडी और ईआरओ दोनो के लागइन आईडी और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) संबंधित आईएवंएडी कार्यालय के विभागाध्यक्ष को एसएमएस (EXMCAG टैग के साथ) और ई-मेल (ई-मेल आईडी examreg@cag.gov.in) द्वारा भी भेजे जाएगें। पहली बार लागइन के बाद पासवर्ड बदलना अनिवार्य है। यदि एक से अधिक ईआरओ आवश्यक हों, तो कार्यालय के विभागाध्यक्ष महानिदेशक (परीक्षा) को अतिरिक्त लागइन आईडी के लिए ई-मेल dgexam@cag.gov.in पर लिखित में निवेदन भेज सकते है।

3 आनलाइन पंजीकारण प्रपत्र चार भागों में विभाजित होगा- **भाग-।** अभ्यर्थी का प्रोफाइल, **भाग-।।** परीक्षा विवरण, **भाग-।।।** अपलोड अनुभाग (दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने

के लिए) और **भाग -4** पूर्वावलोकन अनुभाग। पंजीकरण प्रपत्र का भाग-। कार्यालय द्वारा भरा जाएगा जबकि भाग 2 एवं 3 अभ्यार्थियों द्वारा भरे जाएंगे। पंजीकण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक । में दिया गया है। भाग-। के पंजीकरण प्रपत्र का स्क्रीनशाट अनुलग्नक ॥ में दिया गया है।

4 एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। एवं ॥ मुख्य परीक्षा 2019 में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता 1 सितम्बर 2019 की कट आफ तिथि पर आधारित होगी। विभागाध्यक्ष को विशेष परीक्षा, जिसमें एक अभ्यर्थी बैठना चाहता/चाहती है, की पात्रता की पूर्णता सुनिश्चित करनी चाहिए।

5 इस पत्र की पावती ई-मेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कु

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

अनुलग्नक – I

एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण के चरण

चरण - I

इस चरण को पूर्व - पंजीकरण कहा जाएगा, इसमें संबंधित कार्यालय के ईआरओ एसएमएस/ई-मेल के माधम से प्राप्त लागइन आईडी और ओटीपी का प्रयोग कर लागइन करेंगे और प्रत्येक अभ्यर्थी का लागइन आईडी और ओटीपी सृजित करने के लिए पंजीकरण प्रपत्र का भाग- I भरेंगे। अभ्यर्थियों को सिस्टम द्वारा सृजित लागइन आईडी और ओटीपी एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगी।

चरण - II

इस चरण में अभ्यर्थी लागइन करेगा और पहले से भरे पंजीकरण प्रपत्र के भाग-I की जांच करेगा। यदि अभ्यर्थी को कार्यालय द्वारा भरा गया डाटा स्वीकार्य है तो वह पंजीकरण प्रपत्र के भाग 2 और भाग 3 को आगे भरेगा और उसे प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वह अपने विवरणों की भली भांति जाँच कर लें और SUBMIT बटन क्लिक करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज/फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर लें। उस मामले में यदि अभ्यर्थी भाग-I में पहले से भरे फार्म से असहमत है तो उसे तुरन्त अपने कार्यालय के ईआरओ से संपर्क करना चाहिए।

चरण – III

अभ्यार्थियों द्वारा आनलाइन प्रस्तुतीकरण के बाद, संबंधित ईआरओ लागइन करेगे और भरे हुए पंजीकरण प्रपत्र में भरे गए डाटा की जांच कर को सत्यापित करेगे। सेवा पुस्तिक के रिकार्ड तथा अन्य प्रासंगिक रिकार्डों से बेमेलता के मामले में, EDIT विकल्प का प्रयोग कर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यदि ईआरओ संबंधित परीक्षा में अभ्यर्थी के बैठने की पात्रता के संबंध में और पंजीकरण प्रपत्र में प्रविष्ट किए गए डाटा की सटीकता से संतुष्ट है तो वह VALIDATE विकल्प का प्रयोग कर अभ्यर्थिता की वैधता करेगे। कार्यालय रिकार्ड हेतु भरे गए फार्म का प्रिंटआउट इस चरण में लिया जाना चाहिए।

चरण - IV

संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से प्राप्त लागइन आईडी और ओटीपी का प्रयोग कर इस चरण में लागइन करेंगे और अपना अनुमोदन देंगे। इस स्तर पर एक चैक-लिस्ट भरना अपेक्षित है ताकि अभ्यार्थी जिस विशेष परीक्षा में बैठना चाहते हैं उस की पात्रता मानदंड की पूर्णता सुनिश्चित हो सके।

टिप्पणी:-

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के मामले में, पंजीकरण प्रपत्र का भाग -। उस कार्यालय द्वारा भरा जा सकता है जिसमें वह नियुक्त हैं, यदि उस कार्यालय को कार्यालय कोड आवंटित किया गया है। तथापि, अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र की आनलाइन प्रस्तुती के बाद, डाटा का सत्यापन और वैधता उसके मूल कार्यालय के ईआरओ द्वारा की जाएगी।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

सं. 979/33- परीक्षा /छूट/एससी एवं एसटी उम्मीदवार/2019
दिनांकः- 04/10/2019

परीक्षा अनुभाग
2019 की परिपत्र सं. 22

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विाय:- 2019 में आयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा (एसएएस) मुख्य परीक्षा-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था., (आरईएस) खण्ड-॥ के अर्न्तगत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक ने नवम्बर 2019 में आयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित परीक्षार्थियों को अनुमत की जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगीः-

अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा, परीक्षा के समूह–। और ॥ के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, उन परीक्षार्थियों को जो विशिष्ट प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में छूट के साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त छूट केवल अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, मुख्य परीक्षा 2019 के लिए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व किया जायेगा।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए। **इस परिपत्र की कोई हार्डकापी नही भेजी जाएगी। साफ्टकापी सीएजी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।**

कृपया इस पत्र की पावती को ई-मेल आई डी: examsection@cag.gov.in. पर भेंजे।

भवदीय

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110124

संख्या- 977/31-परीक्षा/मानदेय संशो./2019

दिनांक:- 03/10/2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या. 21

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखा अधिकारियों के लिए राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा और भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा परिवीक्षाधीन के पेपर तैयार करने वाले/परीक्षकों/संयमकों इत्यादि के मानदेय की दरों में संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यलय के परिपत्र सं 559-परीक्षा/8-2004/V दिनांक 02-12-2004 की निरंतरता में, यह कहा जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखा अधिकारियों के लिए राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन/सीपीडी परीक्षा और भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (परिविक्षाधीन) के लिए पेपर तैयार करने वाले/परीक्षकों/संयमकों/अनुवादकों को देय मानदेय की दरें संशोधित कर दी गई हैं।

मानदेय की संशोधित दरों की एक प्रति संलग्न है और यह 03-09-2019 से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रभावी होंगी।

भवदीय,

मनीष कु

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

सं. 978/31-परीक्षा/मानदेय संशोधन/2019 दिनांक : 03-10-2019

प्रति सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सचिव
2. मुख्यालय के सभी उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक/अपर उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक/महानिदेशक/प्रधान निदेशक/निदेशक/उप-निदेशक
3. सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (एन)
4. व. प्रशासनिक अधिकारी (पीपीजी)

मनीष कु

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

मानदेय की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं :-

(क)	प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए	
(1)	दुहरा प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय सीमा के बिना एक परीक्षक द्वारा उसी विषय पर तैयार किया गया सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक	रु. 1875/-
(2)	एकल प्रश्न पत्र	
	(i) 3 घंटे की अवधि से कम	रु. 1125/-
	(ii) 3 घंटे की अवधि	रु. 1500/-
(ख)	प्रश्न पत्र का संयमन	
	(1) दुहरा प्रश्न पत्र	रु. 1125/-
	(2) एकल प्रश्न पत्र	
	(i) 3 घंटे की अवधि से कम	रु. 565/-
	(ii) 3 घंटे की अवधि	रु. 875/-
(ग)	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	
	(i) 2 घंटे तक तथा इससे कम अवधि	रु. 14/- प्रति उत्तर पुस्तिका
	(ii) 2 घंटे से अधिक अवधि	रु. 23/- प्रति उत्तर पुस्तिका
	(iii) कम्प्यूटर द्वारा फ्लोपियों का मूल्यांकन	रु. 23/- प्रति फ्लोपी
(घ)	प्रधान परीक्षक	रु. 4/- (मूल्यांकन की दर से अतिरिक्त)
(ड)	एम सी क्यू बनाना	
	(क) 50 प्रश्न	रु. 2250/-
	(ख) 60 प्रश्न	रु. 2550/-
	(ग) 75 प्रश्न	रु. 3000/-
	(घ) 100 प्रश्न	रु. 3375/-

संशोधित दरें 03.09.2019 से होनेवाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रभावी होंगी।

(प्राधिकार फाइल सं 31-परीक्षा (मानदेय संशो./2019)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली</u>

सं 976/24-परीक्षा/अंतरण/ 2019
दिनांक 01-10-2019

<u>परीक्षा अनुभाग</u>
2019 की परिपत्र सं. **20**

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा कार्यलयों के सभी कार्यालय
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- राजभाषा संवर्ग (अखिल भारतीय संवर्ग) के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के लिए एसएएस मुख्य परीक्षा 2019 में बैठने के संबंध में शाखओं के अन्तरण की प्रक्रिया।

महोदय/महोदया,

राजभाषा संवर्ग (अखिल भारतीय संवर्ग) के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक जो एसएएस मुख्य परीक्षा 2019 में पहली बार बैठने के लिए पंजीकरण करेंगे, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह वर्तमान में किस कार्यालय में सेवारत हैं, उन्हें किसी भी शाखा को चुनने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, राजभाषा संवर्ग (अखिल भारतीय संवर्ग) के कार्मिक, जिन्होंने पूर्व में एक विशेष शाखा में एसएएस परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, को केवल उसी शाखा से बैठने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि वह मुख्यालय कार्यालय से शाखा अन्तरण की अनुमति प्राप्त नही कर लेते।

2 परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 15 की शर्तों में, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा में अन्तरण के मामले मे महानिदेशक (वाणिज्यिक) द्वारा और अन्य मामलों में महानिदेशक (परीक्षा) द्वारा अन्तरण की अनुमति दी जाएगी।

3 चूंकि राजभाषा संवर्ग (अखिल भारतीय सवंर्ग) का अनुरक्षण मुख्यालय कार्यालय के स्टाफ विंग द्वारा किया जाता है, इस सवंर्ग से संबंधित कार्मिकों के संबंध में एसएएस परीक्षा 2019 में बैठने के लिए शाखाओं के अन्तरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रारुप में विचार एवं सिफारिश हेतु संवर्ग नियंत्रण प्रधिकारी अर्थात महानिदेशक (स्टाफ) को प्रेषित करना अपेक्षित हैं।

4 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के कुछ पात्र कार्मिक जिन्हे परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 7 की शर्तों में सिविल लेखापरीक्षा शाखा में एसएएस परीक्षा 2019 में बैठने की अनुमति दी जाएगी, को 2019 के परिपत्र सं 19 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प चुनना अपेक्षित है और ऐसे कार्मिकों के संबंध में अन्तरण हेतु कोई आवेदन करना आवश्यक नही है।

5 इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कु

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 884/09 - परीक्षा/ एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II/कार्यक्रम/वार्षिक /2019

दिनांक:- 17 सितम्बर 2019

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

2019 का परिपत्र संख्या 19

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस मुख्य परीक्षा 2019 से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के दिनांक 24-04-2019 के परिपत्र 2019 की सं. 7 के पैरा (2) (ii) की शर्तों में लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के कुछ पात्र कर्मियों, जैसा कि उसमें विशेष रूप से उल्लिखित है, को या तो सिविल लेखापरीक्षा शाखा या सिविल लेखा शाखा से एसएएस परीक्षा 2019 लिखने की अनुमति दी जाएगी।उक्त परिपत्र के पैरा (2) (iii) द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि पात्र कर्मियों द्वारा एक बार चुना गया विकल्प दोबारा फिर से बदला नही जाएगा।

2. संबंधित लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के पात्र कर्मी जो उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा (2) (ii) की शर्तों में एसएएस परीक्षा 2019 में या तो सिविल लेखापरीक्षा शाखा या सिविल लेखा शाखा से बैठना चाहते है, ***संलग्न प्रारूप*** में लिखित में विकल्प चुनेंगे। विधिवत भरा गया विकल्प प्रपत्र भविष्य के संदर्भ हेतु संबंधित कार्यालयों द्वारा रखा जा सकता है और उसे मुख्यालय को भेजने की आवश्यकता नही है। इन कर्मियों को परीक्षा अनुभाग के दिनांक 09-08-2019 के परिपत्र 2019 की सं. 15 की शर्तों में सिविल लेखापरीक्षा शाखा में अन्तरण का आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

3. सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत अधिकारी किसी भी शाखा से एसएएस परीक्षा लिखने के पात्र नही हैं। तथापि, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के तदर्थ एएओ सहित, एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा उत्तीर्ण कर्मियों, जिन्हें अभी सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के रूप में पदोन्नत किया जाना है, जो अन्यथा पात्र हैं, परीक्षा अनुभाग के दिनांक 24-04-2019 के परिपत्र 2019 की संख्या 7 के पैरा (2) (ii) की

शर्तों में एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा 2019 में बैठने का विकल्प प्रयोग कर सकते हैं, जैसा उपरोक्त पैरा 2 में कहा गया है।

4. स.ले.अ./स.ले.प.अ. के पद के भर्ती नियमों के अनसुार, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा, प्रतिनियुक्ति/समावेशन के लिए आवेदन की प्राप्ति की समाप्ति तिथि पर 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नही हो। इसके अलावा, सिविल लेखापरीक्षा अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति सह समावेशन पर जाने की तिथि तक उनके मूल कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत अधिकारी सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर समावेशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नही हैं।

5. जैसा कि सीएजी एमएसओ (प्रशा) खण्ड I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.10 में प्रावधान है, अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य अवसरों की संख्या छः होगी। तथापि, उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने छः अवसरों का उपयोग कर लिया है और एसएएस परीक्षा में कम से कम पांच पेपर पास कर लिए हों, को चार अतिरिक्त क्रमानुगत अवसर दिए जाएगें। इन चार अतिरिक्त अवसरों की गिनती अगली एसएएस परीक्षा से तुरन्त की जाएगी और चार क्रमानुगत एसएएस परीक्षाओं की समाप्ति के बाद, जिसमें कर्मी को बैठने का विकल्प हो, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह परीक्षा में बैठा है या नही को व्यपगत माना जाएगा। अत: वह परीक्षाएं जिनमें पात्र लेखा एवं हकदारी कर्मियों को एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा लिखने का विकल्प था/है, की गिनती चार अतिरिक्त क्रमानुगत अवसरों के रूप में की जाएगी। एसएएस परीक्षा पास करने पर, लेखा एवं हकदारी कर्मियों जिनके पास एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा लिखने का विकल्प हो, को छोड़कर, अवसरों की अनुमत संख्या जिसका लाभ नही लिया गया हो, व्यपगत हो जाएगें।

6. सीएजी एमएसओ (प्रशा) खण्ड I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.16 के अनुसार, एक शाखा में एक अभ्यर्थी द्वारा अवसरों का पहले लिया गया लाभ अन्य शाखा में अनुमत अवसरों की अधिकतम संख्या में गिना जाएगा। वह अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से सभी अनुमत अवसरों की संख्या का उपयोग कर लिया हो, को एसएएस परीक्षा की किसी अन्य शाखा में नए अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी।

7. इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कु

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय

परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र संख्या 7 एवं 2019 के परिपत्र संख्या 19 की शर्तों में लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के पात्र कार्मिकों द्वारा सिविल लेखा या सिविल लेखापरीक्षा शाखा में एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए विकल्प का प्रयोग ।		
क्रम संख्या	विवरण	
1.	कार्मिक का नाम	
2.	पद नाम	
3.	क्या पहले एसएएस परीक्षा में बैठे है। यदि हां, तो नवीनतम इन्डेक्स नम्बर	हॉं/नही (जो लागू नही है उसे काट दें) यदि हां, नवीनतम इन्डेक्स नम्बर -------------------
4.	एसएएस परीक्षा की शाखा जिसमें बैठना चाहते हैं।	सिविल लेखा/सिविल लेखापरीक्षा (जो लागू नही है उसे काट दें)
5.	**वचनबद्धता** मैं समझता/समझती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर क्रम संख्या 4 में चुना गया विकल्प दोबारा परिवर्तित नही किया जाएगा। स्थान : हस्ताक्षर दिनांक : मोबाइल न.	

कार्यालय प्रयोग हेतु
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरणों को जांच लिया गया और सही पाया गया है। विकल्प फार्म भविष्य के संदर्भ हेतु इस कार्यालय में रखा जाएगा। वरि. महालेखाकार/महालेखाकार(प्रशासन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 823/14/ परीक्षा/संशोधित पाठ्यक्रम/2019

दिनांक:- 03 सितम्बर 2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 18

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम – छूट के संबंध में।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र संख्या 17 द्वारा अधिसूचित राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आरएई) का संशोधित पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2019 से लागू होगा। इस संबंध में संशोधित आरएई के तहत छूट निम्नानुसार विनियमित की जाएगी:-

(क) जिन्होंने पूर्व आरएई में आरएई –1 पेपर में छूट प्राप्त की थी, उन्हें संशोधित आरएई के आरएई –1 (आयकर) पेपर में बैठने की आवश्यकता नही है;

(ख) जिन्होंने आरएई-2 से आरएई 9 पेपर में से किसी में भी छूट प्राप्त की थी, उन्हें संशोधित आरएई के आरएई 2 पेपर (वस्तु और सेवा कर और विशिष्ट शाखा राजस्व) में बैठने की आवश्यकता नही है;

(ग) जिन्होंने आरएई 1 और आरएई 2 दोनों में छूट प्राप्त की थी और उन्हें पूर्व आरएई में केवल आरएई 10 पेपर पास करना था, उन्हें संशोधित आरएई के किसी पेपर में बैठने की आवश्यकता नही है। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा 2019 के अन्य आरएई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ आरएई पास माना जाएगा।

2. इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कु.

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या 810/14/ परीक्षा/संशोधित पाठ्यक्रम/2019
दिनांक:- 27-08-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 17

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा एवं सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित विभागीय परीक्षाओं के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन दिया है:

(i) राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा

(ii) सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपीडी-I, सीपीडी –II, एवं सीपीडी -III)

संशोधित पाठ्यक्रम (प्रति संलग्न) सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है और वेबसाइट पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। कोई हार्डकापी नही भेजी जाएगी।

2. राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम 2019 की मुख्य परीक्षा से लागू किया जाएगा, जिसे नवम्बर महीने में आयोजित करने की संभावना है।

3. सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपीडी –I, सीपीडी-II एवं सीपीडी –III) का संशोधित पाठ्यक्रम 2020 की मुख्य परीक्षा से लागू किया जाएगा।

4. राजस्व लेखापरीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) समाविष्ट किया गया है। अत: अभ्यर्थियों को जीएसटी का आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस संबंध में जल्दी ही निर्देश जारी किए जाएगें।

5. इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या 806/08/म. नि. (परीक्षा)/परिणाम/एसएएस/आरए/
आईई/सीपीडी-I&II/पूरक परीक्षा/2018
दिनांक:- 20-08-2019

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

2019 का परिपत्र संख्या 16

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

बिषय:- एस.ए.एस./आरए/आईई/सीपीडी- I&II पूरक परीक्षा 2018 का परिणाम।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 12-06-2019 से 19-06-2019 तक आयोजित की गई एस.ए.एस./आरए/आईई/सीपीडी-I&II पूरक परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित हो चुका है। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया परिणाम तथा गणना कार्ड सीएजी की वेबसाइट पर निम्नलिखित मार्ग **Home>Quick Links>Examinations>Results** (वेब लिंक <u>http://examreg.cag.gov.in/ cag_admin/)</u> से डाउनलोड करें। यूजर आईडी तथा पासवर्ड वही है जैसा अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को भेजा गया था।

भवदीय
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 686 /24-परीक्षा/अन्तरण/2019

दिनांक:- 09 -08-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 15

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालय के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए शाखा का अंतरण

महोदय/महोदया,

सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.15 के अनुसार सामान्यतया एक शाखा से दूसरी शाखा में अन्तरण अनुमत नही है। गिने चुने मामलों में, जहां ऐसे अन्तरण लोक हित में अनिवार्य हो और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह कार्यालय जिसमें वह अन्तरण चाहते हो, उन्हें स्थायी रूप से आमेलन के लिए तैयार हो, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक जो प्रत्येक मामले में आवश्यक अन्य शर्तों को निर्धारित करेगा, की पूर्व संस्वीकृति से एक शाखा से दूसरी में अन्तरण को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अन्तरण किया जा सकता है। एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए शाखा अन्तरण के आवेदनों को निपटाते समय सीएजी एमएसओ (प्रशासन) खण्ड-I के ऊपर उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किए जाते है:

(i) **सामान्य नियम:** सीएजी के एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.14 की शर्तों में, किसी भी अभ्यर्थी को अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा जो उस कार्यालय के लिए उचित है जहां वह कार्यरत है के अलावा किसी अन्य शाखा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी।

(ii) **सीधी भर्ती एएओ:** जैसा कि परीक्षा विंग के 2019 के परिपत्र सं. 10 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि सीधी भर्ती एएओ को एएओ के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए अपनी संबंधित शाखा से एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(iii) **विभागीय अभ्यर्थी:** वह अभ्यर्थी जो एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए शाखा अंतरण चाहते हों को उचित माध्यम से अपने विभाग प्रमुख को संलग्न प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(iv) **विभाग प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:** यदि विभाग प्रमुख को संबंधित कर्मचारी के संबंध में एसएएस परीक्षा में शाखा अतंरण पर कोई आपत्ति नही है, तो आवेदन सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि अनुवर्ती पैरों में स्पष्ट किया गया है। मुख्यालय कार्यालय को आवेदन प्रेषित करने से पूर्व सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के अध्याय 9 के प्रासंगिक प्रावधानो को ध्यान में रखा जाए।

(v) **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग:** सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.14 के नीचे नोट-I की शर्तों में एसएएस परीक्षा में वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में अन्तरण पर विचार हेतु आवेदन मुख्यालय कार्यालय के वाणिज्यिक विंग को प्रेषित किया जाए। यह परीक्षा विंग के 2019 के परिपत्र सं. 14 के अनुसार है।

(vi) **परीक्षा विंग:** सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.15 की शर्तों में शाखा अन्तरण का आवेदन विचार हेतु परीक्षा विंग के प्रेषित किया जाएगा। ऐसे आवेदन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से आश्वासन पत्र के साथ भेजा जाना अनिवार्य है जिसमें कर्मचारी अंतरण चाहता हो, कि एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे उस शाखा में स्थायी रूप में आमेलित कर लिया जाएगा।

(vii) **अनुमत अवसर:** एक शाखा में एक अभ्यर्थी द्वारा पहले से उपयोग किए गए अवसरों को अन्य शाखा में स्वीकार्य अवसरों की अधिकतम संख्या के रूप में गिना जाता है। जिन अभ्यर्थियों ने अवसरों की पूरी अनुमत संख्या का उपभोग कर लिया है, को एसएएस परीक्षा की किसी अन्य शाखा के लिए नए अभ्यर्थी के रूप में बैठने नही दिया जाएगा।

(viii) **बहुल अंतरण:** एक बार प्रदान किया गया शाखा अन्तरण अन्तिम होगा और अन्तरण लेने या बहुल अन्तरण के आवेदनों को स्वीकार नही किया जाएगा। यदि इस परिपत्र के जारी होने की तिथि तक ऐसा कोई आवेदन लम्बित है तो उसे तुरन्त मुख्यालय कार्यालय के परीक्षा विंग के ध्यान में लाया जाए।

(ix) **निर्णायक तिथि:** एसएएस परीक्षा में उस वर्ष की 1 सितंबर से पूर्व दी गई शाखा अन्तरण की अनुमति उस वर्ष की मुख्य परीक्षा से प्रभावी होगी।

(x) **पंजीकरण:** एसएएस परीक्षा के लिए पंजीकरण के समय सभी क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी अभ्यर्थियों के विवरण, जिन्हें शाखा अन्तरण की अनुमति दी गई हो, को भली भान्ति सत्यापित करें ताकि पात्रता शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। शाखा अन्तरण से संबंधित विवरणों को पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट करना होगा और यदि अपेक्षित हो, मुख्यालय को अनुमति पत्र की स्कैन्ड प्रति भी अपलोड की जाएगी।

इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडी: examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कु.

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग

-------------------- का कार्यालय

एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए शाखा अंतरण अनुमति मांगने का आवेदन		
क्रम संख्या	विवरण	
1.	कर्मचारी का नाम	
2.	पदनाम	
3.	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (मूल कार्यालय)	
4.	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत हैं	
5.	क्या एसएएस परीक्षा के लिए बैठे हैं	
6.	यदि हां, मौजूदा इंडेक्स नम्बर	
7.	शाखा जिसमें अन्तरण चाहते हैं	
8.	अंतरण मॉगने का कारण	
9.	**वचनबद्धता** मैं जानता /जानती हूँ कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए शाखा अंतरित करने की अनुमति दे दी जाती है तो उसे वापस नही किया जा सकता है और आगे अन्य शाखा में अंतरण की अनुमति भी नही मिलेगी। स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: मोबाईल नं.	

कार्यालय उपयोग हेतु
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण का सत्यापन किया गया है और वह सही पाए गए हैं। इस कार्यालय को उपरोक्त् कर्मचारी द्वारा एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए मांगी गई शाखा अंतरण पर कोई आपत्ति नही है। विभाग प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। **निदेशक/वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार/ उप निदेशक (प्रशासन)**

संख्या	दिनांक
प्रेषित: **महानिदेशक (वाणिज्यिक)** **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का कार्यालय** **9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,** **नई दिल्ली – 110124**	प्रेषित: **महानिदेशक (परीक्षा)** **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का कार्यालय** **10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110124**

नोट:- 2019 के परिपत्र 14 के अनुसार वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में अंतरण का आवेदन परीक्षा विंग को प्रेषित करना आवश्यक नही है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या. 664 /01-परीक्षा/परिपत्र/2019
दिनांक:- 22 -07-2019

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र संख्या 14

सेवा में,
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालय के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एस.ए.एस परीक्षा में बैठने के लिए वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में अतरंण के आवेदन।

महोदय/महोदया,

सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खंड-I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.14 में अनुबंधित है कि किसी भी अभ्यर्थी को उस शाखा जो उसकी स्थापना के लिए उपयुक्त है, तथा जहां वह सेवारत है, के अलावा अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी। तथापि, पैरा 9.2.14 के नीचे नोट-I के संबंध में, व्यक्ति जो विभिन्न शाखाओं में कार्यरत् है और पैरा 9.2.6 में प्रदत्त शर्तों को पूरा करते है, अलग से निर्धारित नियमों एवं शर्तो की लिखित स्वीकृति के अधीन वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में बैठने के विकल्प का उपयोग कर सकते है।

2. मौजूदा चलन के अनुसार, एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए अन्य शाखाओं से वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में अन्तरण की अनुमति मुख्यालय के वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा दी जाती है। अत: आईए एवं एडी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस प्रकार के अनुरोध केवल मुख्यालय के वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग में प्रेषित किए जाने चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध परीक्षा विंग में प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एसएएस परीक्षा के पंजीकरण के समय ऐसे सभी अभ्यर्थियों के विवरण पूर्ण रूप से सत्यापित किए जाने चाहिए ताकि पात्रता शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

4. कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडी: examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली -110124

संख्या. 649/01-परीक्षा/परिपत्र/2019

दिनांक:- 27 -06-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 13

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- एस.ए.एस.(प्रारभिक) परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों की सूची मुख्यालय प्रेषित करने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह कहा जाता है कि सीएजी कार्यालय के परीक्षा अनुभाग को क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, मुख्यालय के पत्र सं. क्रं. 402-परीक्षा/33-77 दिनांक 05-07-1977 के संदर्भ से, एस.ए.एस (प्रारंभिक) परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों की सूची प्रेषित की जा रही है।

चूँकि एस.ए.एस (प्रारंभिक परीक्षा) कराने का दायित्व क्षेत्रीय कार्यालयों का है, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची को मुख्यालय प्रेषित करने की आवश्यकता नही है।

कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडी: examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कु

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली -110124

संख्या. 585/01-परीक्षा/परिपत्र/2019

स्पीड पोस्ट द्वारा

दिनांक:-29-05-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 12

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एस.ए.एस./आरए/आई/सीपीडी-I&II परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र।

महोदय/महोदया,

12-06-2019 से 19-06-2019 तक आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा, 2018 की पूरक एसएएस /आरए/आई/सीपीडी-I&II परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र तैयार है तथा 03-06-2019 से 07-06-2019 तक निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किये जा सकते है। प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी किये जायेगे तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डाउनलोडिंग अनुमत नहीं है। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 1 मार्च 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, चिपका कर उस पर अपने हस्ताक्षर करें। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्रशासन के प्रभारी अधिकारी वरि. प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। यह दो प्रतियों में है, एक प्रति अभ्यर्थी के लिए है तथा दूसरी कार्यालय अभिलेख के लिए है (कार्यालय प्रति)। प्रवेश पत्रों का प्रिन्ट एक क्लिक में 25 प्रवेश पत्र निम्न मार्ग से लिए जा सकते है:

- Link http://examreg.cag.gov.in/cag/admin
- अभ्यर्थता के अनुमोदन के लिए पूर्व में सूचित "यूजर ID तथा HOD Password" का प्रयोग करें।
- लॉग इन के बाद menu bar में एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I&II अभ्यर्थियों पर क्लिक करें।
- 25 प्रवेश पत्र प्रिन्ट करने के लिए 'to print 25 Admit Cards with hyper link 0_24, 25_49……so on' पर क्लिक करें।
- एक प्रवेश पत्र प्रिन्ट लेने के लिए अभ्यर्थी के इंडेक्स नंबर पर क्लिक करें।

प्रवेश पत्रों पर उपलब्ध स्थान पर वरि. लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी/लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (प्रशासन) के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडी: examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली

सं. 542/01- परीक्षा/परिपत्र /2019
दिनांक 07-05-2019

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र सं.10

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(अधीनस्थ कार्यालयों सहित)
क्षे.प्र.सं./क्षे. प्र. केन्द्र/एनएएए शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- सीधी भर्ती एएओ के सिविल लेखापरीक्षा शाखा से वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में अन्तरण के संबंध में स्पष्टीकरण.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सदंर्भ में यह कहा जाता है कि परीक्षा अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सीधी भर्ती एएओज से अन्तरण हेतु कई आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस संबंध में यह कहा जाता है कि सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती एएओज को सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए संबंधित शाखा में "अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा" परीवीक्षा अवधि के दौरान पास करनी होती है, जो सामान्यतया 2 वर्ष की होती है

अतः यह स्पष्ट किया जाता हे कि सीधी भर्ती स.ले.प. अधिकारियों को सिविल लेखापरीक्षा शाखा से वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा में अन्तरण प्रदान नही किया जा सकता।

कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल आईडीः- examsection@cag.gov.in पर भेजे।

भवदीय

मनीष कु

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. 534/01- परीक्षा/परिपत्र /2019
दिनांक 06-05-2019

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र सं.09

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(अधीनस्थ कार्यालयों सहित)
क्षे.प्र.सं./क्षे. प्र. केन्द्र/एनएएए शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा एवं सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी-I एवं II), परीक्षाएं

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि पीसी-I भाषा कौशल के हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस परीक्षा में परीक्षा देने के लिए कस्टमाईजड ले आउट की बोर्ड "रैमिंगटन" के साथ आम तौर पर प्रयोग होने वाला "अक्षर" फॉन्ट उपलब्ध होगा। यह पहले से ही सीएजी की वेबसाईट पर पीसी-I भाषा कौशल के अभ्यर्थियों के अभ्यास के लिए डेमो टेस्ट में अपलोड किया हुआ है। डेमो टेस्ट वेबसाईट http://cbexam.com/cagdtest पर उपलब्ध है जिस पर मार्ग About Us-Resources-Examination द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। पीसी -4/आईई-4 सूचना तकनीकी (व्यवहारिक) एवं पीसी-I भाषा कौशल पेपर मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस/प्रोत्साहन परीक्षा 2018 के लिए आपरेटिंग सिस्टम तथा सॉफ्टवेयर "विंडो 7" एवं उपरोक्त होगा। इसलिए अभ्यर्थी इसके अनुसार अपने आप को परिचित करें। यह दोहराया जाता है कि अभ्यर्थियों को सीबीटी मोड द्वारा परीक्षा से परिचित कराने के लिए पीसी-I भाषा कौशल के भाग "ब" (मसौदा तथा लेखन योग्यताएँ) सहित संबंधित पेपरों में अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इसके अतिरिक्त सीबीटी मोड में परीक्षा देते समय टैब एवं कंट्रोल कीज, कट, कापी एवं पेस्ट कमान्डस को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। टूल बाक्स में दर्शाया गया "इडेन्ट" बटन का प्रयोग पैरो के बीच की जगह बढाने/ घटाने में किया जाता है जैसा कि अनुदेशो में इंगित है। पीसी-4/आईई-4, सूचना तकनीकी(व्यवहारिक) प्रश्न पत्र में भी शोर्ट कट कीज जैसे "ctrl key" भी निष्क्रिय रहेगी।

मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस/आईई परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्याथियों को तुदनुसार सूचित किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती को E-mail id: examsection@cag.gov.in पर भेजे।

भवदीय,

मनीष कु

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

संख्या 406/01-परीक्षा/परिपत्र/2019
दिनांक:- 26-04-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 08

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएए शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

बिषय:- मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। और ।। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का ऑन लाइन पंजीकरण।

महोदय/महोदया,

मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-। और ।। परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता के अनुमोदन के लिए पासवर्ड, संबंधित कार्यालयों केा भेजे जा रहे हैं। विभागाध्यक्षों द्वारा अभ्यर्थी के अनुमोदन/निरनुमोदन का जैसा भी मामला हो, 04-05-2019 तक पूरा हो जाना चाहिए।

विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों की पात्रता की परिशुद्धता सुनिश्चित करें।

भवदीय,

मनीष (कु)

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

पत्र संख्या 402/09- परीक्षा/एसएएस/आरए/सीपीडी-I एवं II /कार्य/वार्षिक/2019
दिनांक 24/04/2019

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र सं. 7

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र /एनएएए/आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय: अधीनस्थ लेखा एवं लेखापरीखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन/सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी)-I एवं II मुख्य परीक्षाएं, 2019

महोदय/महोदया,

अधीनस्थ लेखापरीक्षा /लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन/सतत/ व्यवसायिक विकास (सीपीडी)-I&II एवं मुख्य परीक्षाएं, 2019 निम्नलिखित कार्यालयों में आयोजित करने का निर्णय किया गया हैं-

(1.) लेखापरीक्षा कार्यालयों में एसएएस (लेखापरीक्षा) परीक्षा

(i) अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा (एसएएस) परीक्षा आईए एवं एडी के सभी कार्यालयों में (सभी श्रेणियों के लिए) आयोजित की जाएगी।

(ii) राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आरएई) और सतत व्यवसायिक विकास – I एवं II (सीपीडी – I एवं II) परीक्षा आईए एवं एडी के सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(2.) लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में एसएएस परीक्षा

(i) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में कर्मचारियों को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए केवल एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा 2019 में बैठना अनुमत किया जाएगा।

(ii) बाकी के ले. एवं हक कार्यालयों के कर्मचारियों को या तो अभाव वाले सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर आमेलन के लिए या सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा 2019 लिखने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) ले. एवं ह. कार्यालयों के योग्य कर्मचारियों द्वारा या तो एसएएस (सिविल लेखा) या एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा लिखने के विकल्प का एक बार प्रयोग करने पर उसे आगे बदला नही जाएगा।

(iv) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नही होगी। लेखा एवं हक कार्यालयों के योग्य कर्मचारियों को एसएएस(सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा 2019 लिखने की अनुमति देते समय अभाव वाले सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों (पैरा 2 (i) में उल्लिखित ले.एवं हक कार्यालयों को छोड़ कर क्योंकि वह केवल एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा लिख सकते है) में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर आमेलन के लिए इस प्रावधान को ध्यान में रखा जाए।

(3.) प्रोत्साहन परीक्षाएं:

सभी लेखा एवं हक कार्यालयों में योग्य कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा/सतत व्यवसायिक विकास – I और सतत व्यवसायिक विकास – II परीक्षाएं 2019 का आयोजन किया जाएगा

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

सं. 287/01- परीक्षा/परिपत्र/2019
दिनांक 16-04-2019

परीक्षा अनुभाग
2019 का परिपत्र सं. 05

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(अधीनस्थ कार्यालयों सहित)
क्षे.प्र.सं./क्षे. प्र. केन्द्र/एनएएए शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- मुख्य परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II परीक्षाओं का जून 2019 में आयोजन।

महोदय/महोदया,

स्टाफ नियुक्ति विंग के पत्र संख्या 938-स्टाफ (नियुक्ति-I)/25-2011 दिनांक 24-11-2011 के माध्यम से जारी परिपत्र संख्या 34-स्टाफ (नियुक्ति-I) 2011 के अनुसार मुख्य परीक्षा 2018 की अगली पूरक परीक्षा जून 2019 आयोजित की जाएगी। जून 2019 में पूरक एसएएस परीक्षा के साथ पूरक राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन और सीपीडी-I एवं II परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। तिथि बाद में सूचित की जायेंगी। अभ्यर्थियों का ऑन-लाइन पंजीकरण 22-04-2019 से 30-04-2019 तक होगा।

कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडीः examsection@cag.gov.in पर भेजे।

भवदीय

मनीष कु.

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

<u>तत्काल व्यापक प्रचार के लिए</u>

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

सं. 286 /19- परीक्षा/छूट/एस सी/एस टी अभ्यार्थी/2018
दिनांक 16-04-2019

परीक्षा अनुभाग
<u>2019 का परिपत्र सं. 04</u>

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(अधीनस्थ कार्यालयों सहित)
क्षे.प्र.सं./क्षे. प्र. केन्द्र/एनएएए शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- मुख्य एसएएस परीक्षा 2018 की पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट के स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 1001/35-परीक्षा/2008/V दिनांक 13-11-2018 के माध्यम से जारी 2018 के परिपत्र संख्या 14 के अनुसार एसएएस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में आने वाले अभ्यर्थियों को अनुमेय छूट की सीमा जून 2019 में आयोजित होने वाली मुख्य एसएएस परीक्षा 2018 की पूरक एसएएस परीक्षा के लिए भी लागू रहेंगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भविष्य में एसएएस परीक्षा के लिए ऐसी छूट की सीमा की समीक्षा की जाएगी और ऐसी परीक्षा के आयोजन से पूर्व तद्नुसार अधिसूचित की जाएगी।

इस छूट का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उचित रूप से उपर्युक्त छूट की जानकारी दी जानी चाहिए।

कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडीः <u>examsection@cag.gov.in</u> पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

संख्या 234/01-परीक्षा/परिपत्र/2019
दिनांक:- 02-04-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 03

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

बिषय:- वार्षिक/मुख्य 2019 अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों का पात्रता मानदंड।

महोदय/महोदया,

स्टाफ नियुक्ति विंग के पत्र संख्या 64 स्टाफ (नियुक्ति-I)/18-2010/ के डब्ल्यू दिनांक 17-01-2019 के माध्यम से जारी परिपत्र संख्या 03 स्टाफ (नियुक्ति-I)/2019 के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक/मुख्य 2019 एस.ए.एस. परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता मानदंड की निर्दिष्ट तिथि 1 सितम्बर 2019 निर्धारित की गई है। यह भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए जारी रहेगा जब तक कि एमएसओ संशोधित या अगले आदेश न दिए जाए।

कृपया इस परिपत्र की पावती ई-मेल आईडी :examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या 208/04/म. नि. (परीक्षा)/परिणाम/एसएएस/आरए/आईई/सीपीडी-I&II/मुख्य परीक्षा/2018
दिनांक:- 19-03-2019

2019 का परिपत्र संख्या 02

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- एस.ए.एस./आरए/आईई/सीपीडी- I&II मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 14-12-2018 से 21-12-2018 तक आयोजित की गई एस.ए.एस./आरए/आईई/सीपीडी-I&II मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित हो चुका है। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया परिणाम तथा गणना कार्ड सीएजी की वेबसाइट पर निम्नलिखित मार्ग **Home>Quick Links>Examinations>Results** (वेब लिंक http://examreg. cag.gov.in/ cag_admin/) से डाउनलोड करें। यूजर आईडी तथा पासवर्ड वही है जैसा अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को भेजा गया था। विधिवत् हस्ताक्षरित हार्ड प्रति अलग से भेजी जा रही है।

भवदीय,

(एस.आर. धल)
महानिदेशक (परीक्षा)